

अवैध खनन के
विरुद्ध आमजन

भाग-2

क्या यह सही है कि राज्य की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लि.
की खानों में पाये जाने वाले जिंक अयस्क में पारे की
मौजूदगी नहीं है?

पारे के खतरे से राज्य सरकार बनी मूकदर्शक!!!

राजस्थान में खान, सीमेंट रासायनिक खाद और
उर्वरक इंडस्ट्री में पारे की धमक!!!

क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू की गयी
मीनामाटा संधि से रुकेगी
मानव जीवन में पारे की घुसपैठ?

कितना खतरनाक है पारा?

पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक लेख में कहा गया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर में पाए जाने वाले पारे की केवल 1 ग्राम मात्रा लगभग 20 एकड़ के क्षेत्रफल वाले जल निकाय को प्रदूषित करने के लिये काफी होती है।

अन्य जीवों पर भी ये जहरीला है। इसलिए पर्यावरण में पारे की मौजूदगी एक गंभीर मुद्दा है। पर्यावरण में हरेक साल आने वाली पारे की आधी मात्रा ज्वालामुखी फटने से और अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं से आती है। इसको लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

लेकिन बची हुई आधी मात्रा के लिए इन्सान जिम्मेदार हैं।

रोम के लोग पारे का इस्तेमाल खूबसूरती निखारने में किया करते थे। चीनी लोग इसका उपयोग रंग-रोगन के काम में करते थे जबकि मध्यकाल में पारे को मोम के साथ मिलाकर जरूरी कागजात पर मुहर लगाने के काम में इस्तेमाल करते थे। सदियों तक पारे के उपयोग दवाई में भी किया गया। यहाँ तक कि हाल तक पारा ऐंटीसेप्टिक, अवसादरोधक दवाइयों में भी प्रयोग में लाया जाता रहा है।

बुखार होने की सूरत में शरीर का तापमान नापने के लिए भी पारे वाले थर्मामीटर की जरूरत पड़ती रही है। दाँतों की भराई में


भी पारा अछूता नहीं रह पाया है। पारे की कुछ मात्रा जो दवाओं और दाँतों की भराई के दौरान शरीर में रह जाती है, वह भी कुछ समुदायों में शव की अंत्येष्टि के बाद धुएँ में घुल जाता है।

ये सिलसिला फ्लूरोसेंट बल्ब में पारे की मौजूदगी तक चलता रहता है और इसी लिए पारे के साथ सावधानी से निपटने की जरूरत है। दाँतों की भराई और नष्ट किए गए फ्लूरोसेंट बल्ब इन्सानों की ओर से पर्यावरण में छोड़े गए पारे की दो हजार टन की मात्रा का एक हिस्सा ही है। पर्यावरण में मौजूद पारे की एक चौथाई मात्रा बिजली बनाने वाले कारखानों से आती है।

कोयले का काला धुआँ उगलने वाले बिजली संयंत्र वातावरण में जो धुआँ छोड़ते हैं, उनमें पारे का अंश पाया गया है।

दुनिया भर में लाखों लोग जो सोने के खनन के काम में लगे हुए हैं वे पारे का इस्तेमाल कर इस शुद्ध धातु का उसके अयस्क से अलग करते हैं और समस्या तब पैदा होती है जब पारे से शुद्ध धातु को अलग करने की कवायद शुरू की जाती है। बचे हुए पारे का निपटारा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये पानी में मिलने पर बेहद ही खतरनाक पदार्थ में बदल जाता है जिसे हम मिथाइल मरकरी कहते हैं।


इसे शैवाल और खारे पानी में पैदा होने वाली वनस्पतियाँ सहज से रूप से ग्रहण कर लेता है। इसे बड़े जानवर खाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी बड़े जानवर और उसे सबसे आखिर में मनुष्य खा लेते हैं। इस प्रक्रिया में इस जहरीले रसायन का हमारी जिंदगी पर असर बढ़ा है और अजन्मे बच्चों और बच्चों के विकसित होते दिमाग पर गंभीर खतरे की आशंका व्यक्त की जा रही है।



पारे से घुलते जहर पर रोक लगेगी, संयुक्त राष्ट्र ने

जारी की मीनामाटा संधि

पारे के अंधाधुंध इस्तेमाल को कम करने के इरादे से वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में जिनेवा में पांचदिवसीय बैठक हुई। बैठक के आखिरी दिन 140 से ज्यादा देशों ने इस पर अंकुश के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि स्वीकार करने की इच्छा जताई। इस बारे में बनाए जाने वाले नियमों को मीनामाटा संधि कहा जाता है। मीनामाटा वह जापानी शहर है, जिसने मानव इतिहास में पारे का सबसे बुरा असर देखा है। 1932 से 1968 के बीच मीनामाटा में सिसको नाम की केमिकल फैक्ट्री में पारे से खूब प्रदूषण फैला। 2001 में जांच के बाद पता चला कि पारे की वजह से 1,784 लोग मारे गए. 10,000 से ज्यादा लोगों को गंभीर बीमारियां हुईं।



अंकुश कैसे लगेगा

संधि के तहत पारे के व्यापार और उसकी आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी। सभी सामानों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में पारे के इस्तेमाल पर नियंत्रण होगा। छोटी और बड़ी सोने की खदानों से पारे के निकलने को कम करने के कदम उठाए जाएंगे। यूनेप के मुताबिक दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पारा दक्षिण पूर्व एशिया से निकल रहा है। दुनिया भर में पर्यावरण में जितना पारा घुल रहा है, उसका आधा दक्षिण पूर्व एशिया की वजह हो रहा है।

पारे का इस्तेमाल

बैठक से पहले ही यूनेप ने पारे को लेकर चेतावनी भरी रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक विकास कर रहे देशों के वातावरण में पारे की मात्रा बढ़ रही है, इसकी वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जोखिम बढ़ रहा है। छोटे खनन उद्योगों और कोयला जलाने वाले उद्योगों को इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार बताया गया।

खदानों में पारे का इस्तेमाल सोने की सफाई के लिए किया जाता है। इस दौरान खूब पानी भी खर्च होता है। धुलाई के बाद खदानों से निकलने वाले पानी में पारे की अच्छी खासी मात्रा होती है। पारे का इस्तेमाल फैक्ट्रियों की चिमनियों में भी होता है। चिमनियों में धुएं को साफ करने के लिए खास तरह के फिल्टर लगते हैं, इन फिल्टरों में पारा होता है। अत्यधिक तापमान पर यह पारा वाष्पीकृत होकर हवा में घुलता है।

पारा एक भारी धातु है लेकिन सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। प्राकृतिक रूप से पारा चट्टानों, चूना पत्थर और कोयले में रहता है। कोयला जलाने पर पारा भाप बनकर हवा में घुल जाता है। सीमेंट उत्पादन में भी काफी पारा निकलता है।

क्यों घातक है पारा

वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहां बना रहता है। यह हवा, पानी, जमीन और जीव-जंतुओं में घुल जाता है। इंसान तक पहुंचने पर यह घातक असर दिखाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, "इंसान की सेहत के लिए पारा बहुत ही जहरीला है, गर्भ में पल रहे भ्रूण और बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है।"

सांस के जरिए इंसानी शरीर में घुसने पर पारा तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता और प्राण घातक साबित हो सकता है। यूनेप के मुताबिक बीते एक दशक में 260 टन जहरीला पारा जमीन से बहता हुआ नदियों और झीलों में पहुंच चुका है। समुद्र की ऊपरी की 100 मीटर की तह पर बीते 10 साल में पारे की मात्रा दोगुनी हो चुकी है।

भारत ने की संधि पर हस्ताक्षर

भारत ने पारे के इस्तेमाल पर रोक संबंधी 'मीनामाटा संधि' पर 25 सितंबर 2014 को हस्ताक्षर किया। जिसकी 7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारे पर मिनामाटा समझौते की पुष्टि को मंजूरी प्रदान की गई।

- इस मंजूरी के तहत पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिक संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में वर्ष 2025 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
- पारे पर मिनामाटा समझौता एक सतत विकास के संबंध में कार्यान्वित किया जाएगा।
- जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे में तथा पारे के यौगिकों के उत्सर्जन से सुरक्षा प्रदान करना है।
- पारे पर मिनामाटा समझौते से उपक्रमों को प्रेरणा मिलेगी कि वे पारा-मुक्त विकल्पों को अपनाएं और अपनी निर्माण प्रक्रियाओं में पारा मुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

इससे अनुसंधान एवं विकास में तीव्रता के साथ ही नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

सल्फ्यूरिक एसिड में पारे की मौजूदगी

वैज्ञानिक निष्कर्षों से सिद्ध हुआ है कि जिंक अयस्क में पारे के तत्व मौजूद रहते हैं। जिंक प्लांट में अयस्क से धातुओं को अलग करने

Cabinet approves Ratification of the Minamata Convention on Mercury

प्रतिष्ठित तिथि: 07 FEB 2018 8:18PM by PIB Delhi

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for ratification of Minamata Convention on Mercury and depositing the instrument of ratification enabling India to become a Party of the Convention.

The approval entails Ratification of the Minamata Convention on Mercury along with flexibility for continued use of mercury-based products and processes involving mercury compound up to 2025.

The Minamata Convention on Mercury will be implemented in the context of sustainable development with the objective to protect human health and environment from the anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.

The Convention protects the most vulnerable from the harmful effects of mercury and also protects the developmental space of developing countries. Therefore, the interest of the poor and vulnerable groups will be protected.

The Minamata Convention on Mercury will further urge enterprises to move to mercury-free alternatives in products and non-mercury technologies in manufacturing processes. This will drive research & development, and promote innovation.

Introduction

ZINC SMELTERS release several hundred tons of mercury into the environment each year. They contribute significantly to total anthropogenic atmospheric emissions of mercury, which are estimated to be 3600 to 4500 tons annually (Mason et al., 1994; Fitzgerald, 1996). However, the mercury content of zinc ore is not solely an environmental problem: mercury also serves as a genetic indicator for certain types of zinc deposits. This paper, which is the second in a series on polluting elements (Schwartz, 1995), investigates enrichment and depletion processes occurring during the formation of zinc deposits. The findings presented here may improve our understanding of the global mercury cycle, and also may be used to direct exploration toward targets with low concentrations of mercury.

Mercury-Bearing Sulfides

Sphalerite is the chief host for mercury in zinc deposits (Table 1). Mercury-bearing sphalerite, which contains up to 41 wt% Hg, has been synthesized at 250 to 280°C (Tauson and Abramovich, 1980). Tetrahedrite, which contains up to 21 wt% Hg in some mercury deposits, is rarely present in significant amounts in zinc deposits. Cinnabar is the major

TABLE 1. Mercury Concentration of Sphalerite and Common Sulfide Minerals¹

Mineral	Normal range, ppm Hg	Maximum, wt% Hg
Sphalerite	0.04-5000	41
Wurzite	0.1-200	0.03
Tetrahedrite	10-1000	21
Stibnite	0.1-150	1.3
Pyrite	0.1-100	2
Marcasite	0.1-20	0.07
Chalcopyrite	0.1-40	0.02
Galena	0.04-70	0.7

¹Minerals with maximum concentrations of ≥ 0.01 wt% Hg that may occur in zinc deposits.
Sources: Jonasson and Boyle, 1972; Ozerova, 1986; Tauson, 1989; this study.

ore mineral in mercury deposits, but usually is absent from zinc deposits, except for a few small occurrences (Luque and Martínez G., 1983; Ozerova, 1983; Barbanson et al., 1985; Saulas, 1985). Zinc deposits with cinnabar therefore can be regarded as an unusual type of mineralization, transitional between mercury and zinc deposits. The rare association of cinnabar and sphalerite also is documented for most mercury deposits (Pennington, 1959; Kuznetsov, 1974; Smirnov, 1977). In this paper, however, only the mercury concentrations from cinnabar-free zinc deposits are reviewed.

जिंक अयस्क में पारे की उपलब्धता (एक रिपोर्ट के अनुसार)

की प्रक्रिया में पारा भाप बन कर उड़ जाता है और यदि समय पर पारे का शोधन नहीं किया जाये तो यह जिंक अयस्क के एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है।

सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग डिटर्जेंट, सीमेंट, धातु उद्योग, केमिकल/डाई फैक्ट्रियों और खाद और उर्वरक बनाने के कारखानों में किया जाता है।

हिंदुस्तान जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा उत्पादक।

हिंदुस्तान जिंक लि की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार कंपनी के देरीबा स्थित प्लांट से 0.6

मिलियन चंदेरिया प्लांट से 0.6 मिलियन एवं देबारी प्लांट से 0.3 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है इस प्रकार 1.5 मिलियन

टन अर्थात् 15 लाख टन

सल्फ्यूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है। जिसको वाणिज्यिक उपयोग हेतु सीमेंट, केमिकल, खाद एवं उर्वरक आदि कारखानों को बेच दिया जाता है।

प्रदूषण विभाग को चंदेरिया प्लांट के लिए वर्ष 2019-20 हेतु सौंपी गयी रिपोर्ट में बताया पारे का ज़ीरो उत्पादन और ज़ीरो डिस्पोजल

हिंदुस्तान जिंक द्वारा प्रदूषण विभाग को चंदेरिया प्लांट के लिए वर्ष 2019-20 हेतु सौंपी गयी रिपोर्ट में पारे का ना तो उत्पादन बताया गया है और ना ही डिस्पोजल। जिसका सीधा है कि कंपनी द्वारा जिंक और अन्य उत्पादों के निर्माण में पारे का कोई स्थान नहीं है अर्थात् यहाँ के जिंक अयस्क में पारे के अवयव है ही नहीं।

The screenshot shows the 'Sulphuric Acid' page on the Hindustan Zinc website. It states that they produce 98% concentrated Sulphuric Acid at their production facilities in Chanderiya, Debari, and Dariba in Rajasthan. It lists the plant locations and installed capacity: Dariba (0.6 Million Tonnes annually), Chanderiya (0.6 Million Tonnes annually), and Debari (0.3 Million Tonnes annually). It also lists applications of Sulphuric Acid in various industries.

Cobalt Cake disposal	0.00	0.00	0
Anode Mud (MT)-Generation	442	678.56	266.472
Anode Mud (MT)- Disposed/Sale	442	678.56	266.472
Anode Mud (MT)- Internal consumption	0.00	0.00	0
Purification cake/ Generation (MT)-	2978.	2997.68	2909.43
Purification cake-sale	2999.59	2879.90	2887.113
Purification cak (internal use/Disposal)	0.00	6.13	32.994
Enrichment Cake (Gen) sale	4023.29	4531.77	4634.28
Internal use/Disposal	4044.52	4166.37	4570.111
Mercury sludge -Gen	0.00	127.19	195.679
Sale/disposed	0.00	0.00	0.00

राजस्थान के शहर ना बन जाये जापान के मीनामाटा, उदयपुर का बिछड़ी गाँव हो चुका है बर्बाद

जिस प्रकार राज्य की बड़ी बड़ी खानो, स्मेल्टरो से ज़िंक का उत्पादन करने वाली हिंदुस्तान ज़िंक कंपनी पारे के शोधन के प्रति अनजान बनी हुई है उससे डर लगता है कि कहीं भविष्य में राजस्थान के शहर भी जापान के मीनामाटा ना बन जाये, आपको याद होगा कि पूर्व में भी एक केमिकल फेक्ट्री के जहरीले उत्पादन से राजस्थान के उदयपुर शहर का एक गाँव बिछड़ी बंजर हो चुका है। बिछड़ी गाँव में हुए सर्वनाश की कहानी हम आपको अगले अंकों में बताएँगे।

पारे के संबंध में एनजीटी द्वारा ग्रेसीम और पारले कंपनियों के विरुद्ध दिये गए निर्णय

स्वामी सानंद न होते तो NGT के लिये शायद अब भी राज ही रहता सोनभद्र का जहरीला पारा

जानिये ग्रेसीम इंडस्ट्री की फैक्ट्री पर जुमाने और जहरीले पारे की पूरी कहानी।

By: रफतउद्दीन फरीद

Published: 28 Jul 2019, 03:55 PM IST Sonbhadra, Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

सोनभद्र. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदित्य बिड़ला समूह की ग्रेसीम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री पर जो एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, यह संभव हो सका गंगा के लिये अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले प्रो. जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद की वजह से। स्वामी सानंद ने ही चार साल पहले इलाके में पारे के खतरनाक स्तर पर भंडारण के बारे में एनजीटी की कोर कमेटी को जानकारी दी थी। उसी के बाद आयी रिपोर्ट पर एनजीटी ने ग्रेसीम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री पर 1 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। जुर्माना सोनभद्र की दुद्धी तहसील के रेनुकूट में स्थित फैक्ट्री में बाई-प्रॉडक्ट के तौर पर निकलने वाले पारे का भारी मात्रा में स्टॉक जमा करने के लिए लगाया गया है। जुर्माना एनजीटी पास जमा होगा, जो इस धनराशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में नष्ट हुए पर्यावरण को पुनर्जीवित करने में करेगा।

कैसे मिली पारे की सूचना

सिंगरौली परिक्षेत्र में फैले प्रदूषण से निजात के लिये एनजीटी ने 28 अगस्त 2018 के आदेश में एनजीटी ने हानिकारक कचरे को शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने यह आदेश उस रिपोर्ट के आधार पर दिया, जिसे प्राधिकरण द्वारा ही गठित पैनल ने तैयार किया था। पैनल ने रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी ने 2012 में उत्पादन के दौरान बाई-प्रॉडक्ट के तौर पर भारी मात्रा में पारे की उपस्थिति वाला लवणीय कचरा एकत्र कर फैक्ट्री परिसर में ही जमा करके रखा है। इस तथ्य की जानकारी कमेटी के अध्यक्ष को उस समय बनवासी सेवा आश्रम में ही मौजूद स्वामी सानंद ने प्रत्यक्ष रूप से नोट कराकर दी थी। उसी दिन कमेटी ने उक्त केमिकल इंडस्ट्री का दौरा किया और स्वामी जी की बातों को अक्षरशः सत्य पाया। बाद में पैनल ने ही कंपनी पर खतरनाक स्तर के अपशिष्ट एकत्र करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।

8/18/2021

Home > Business

NGT orders inspection of Parle Agro Private Ltd's unit in UP

The tribunal directed the industrial unit to furnish complete set of papers to the CPCB and UPPCB.



Published: 10th September 2018 03:49 PM | Last Updated: 10th September 2018 03:49 PM



The National Green Tribunal. (File Photo)

By PTI

NEW DELHI; The National Green Tribunal has directed the departments concerned to conduct an inspection of beverage maker Parle Agro Private Ltd's unit in Uttar Pradesh to ascertain whether the industry is releasing mercury beyond the permissible limit.

A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel ordered the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Uttar Pradesh Pollution Control Board to conduct a joint inspection and submit report within two weeks.

"We direct a joint team of the CPCB and UPPCB to look into this contention in accordance with the law within two weeks.

12

नहीं हो रही हेजार्डियस एंड अदरवेस्ट(मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट)रुल्स 2016 की पालना।

वर्तमान में केंद्र द्वारा पारे जैसी भारी धातुओं के डिस्पोजल के लिए हेजार्डियस एंड अदरवेस्ट(मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट)रुल्स 2016 बना रखे हैं।

परंतु लगता नहीं कि इन नियमों की कड़ाई से पालना करवाई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यदा कदा छोटी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही कर इतिश्री कर ली जाती है।



जवाब मांगते सवाल?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मीनामाटा संधि में भारत द्वारा किए गए करार के तहत क्या वर्तमान में भारत को पारा मुक्त बनाने की पहल पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ कागजी संधि ही साबित हो रही है?
- वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर ज़िंक अयस्कों के पारे की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, परंतु प्रदूषण विभाग को सौंपी जा रही रिपोर्टों में हिंदुस्तान ज़िंक द्वारा पारे के अस्तित्व का कोई जिक्र नहीं किया गया है तो क्या यह माना जाए कि हिंदुस्तान ज़िंक की खानों से निकलने वाले ज़िंक अयस्क में पारे की मात्रा शून्य है?
- यदि वाकई हिंदुस्तान ज़िंक की खानों से निकलने वाले ज़िंक अयस्क में पारे की मात्रा शून्य है तो क्या यह अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों के विरुद्ध बिना पारे का ज़िंक अयस्क पाया जाता है?
- वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर यह तय है कि यदि ज़िंक अयस्क से पारे का शोधन नहीं किया गया तो पारे के वाष्पीकृत होने पर वायु प्रदूषण होगा और यदि पारा वेस्टवाटर में प्रवाहित कर दिया जाए तो जल प्रदूषण होगा और यदि सल्फ्यूरिक एसिड में रह जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले उत्पादों में अपनी उपस्थिति दर्शाएगा और उन उत्पादों के जरिये मानव जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या इन परिस्थितियों में राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ज़िंक लि. की खानों, स्मेल्टरो प्रोसेसिंग यूनिटों के आस-पास स्थित कुओं, तालाबों, नदी-नालों के पानी का और वहां की आबो-हवा में पारे की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जांच करवाएगी?
- जिन जिन कारखानों में जैसे सीमेंट, खाद एवं उर्वरक कारखानों में हिंदुस्तान ज़िंक लि. द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई की जाती है क्या वहाँ के उत्पादों में पारे की उपस्थिति का पता लगाने के लिए राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार द्वारा परीक्षण करवाए जाएँगे?
- यदि इस मामले में कंपनी के दबाव में राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो क्या जागरूक नागरिकों को मानव जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए इस मामले को यथा एनजीटी/सर्वोच्च न्यायालय/संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा?